मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 67/2013 वादपत्र धारा 88, 183, 188 आर.टी.एक्ट.

1–तुलसीराम पिता जगन्नाथ जाट निवासी उठेल तहसील बडीसादडी

2–कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ जाट निवासी उठेल तहसील बडीसादडी

–वादीगण

बनाम

जीतु पिता नवला जाट निवासी उठेल तहसील बडीसादड़ी मृतक के बजायः–

1/1 हीरालाल पिता जीतु जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी

1/2 भागचन्द पिता जीतु जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी

1/3 रतनलाल पिता जीतु जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी

1/4 रामेश्वर पिता जीतु जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी

1/5 भैरूलाल पिता जीतु जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी

1/6 मु. गोपीबाई पत्नी जीतु जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी

1/7 मु. वरदीबाई पत्नी जीतु जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी

1/8 मु. देउबाई पिता जीतु पत्नी अर्जुनलाल जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी

1/9 मु. चान्दीबाई पिता जीतु पत्नी गोपीलाल जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी

2 – रतन मुतवन्ना देवा जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी

3– वजीबाई बेवा किशना जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी

4– कालुराम पिता जमनालाल जाट निवासी उठेलहाल मु. मकनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा

5– मु. नानीबाई पिता जमनालाल पति रामेश्वर जाट उठेल हाल मु. नंगा जी का खेड़ा तहसील भदेसर

–प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से वकील श्री राजेश व्यास तथा प्रतिवादीगण की ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा उंठेल पटवार हल्का पीण्ड के चाह नम्बर 128 में वादीगण का 1/2 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे चाह नम्बर 128 से वादीगण को अपने हक हिस्से 1/2 अनुसार खाता संख्या नई 50 पुरानी 62 की आराजी नम्बर 124/1 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा आराजी नम्बर 126/1 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा आराजी नम्बर 127/1 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा आराजी नम्बर 129/1 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 5 बिघा 17 बिस्वा की पिलाई करने देंवें उसमें किसी तरह की बाधा या अवरोध उत्पन्न न करें न करावें व पानी के धोरे को तोड़ फोड़ न करें न करावें तथा वादीगण के कब्जे काश्त एंव खातेदारी आराजीयात में किसी तरह की दखलअन्दाजी स्वंय न करे न किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण से आराजी नम्बर 125 की पश्चिमी मेड़ पर दो गडडा एवं आराजी नम्बर 124 की पश्चिमी मेड पर एक गड्डा भूमी पर अनाधिकृत कब्जा आराजी नम्बर 124/1 व आराजी नम्बर 127/1 पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने कर रखा है उक्त अवैध कब्जे को प्रतिवादीगण से हटाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

Signature Not Verified

इस वाद के खर्चे....X.. प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्या[illegible] .. को दी जावे।

यह आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे ह[illegible] की गयी।

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:47 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी ● बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

(प्रवीण कुमार [illegible]) RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

PTO

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/230 दिनांक :23/12/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :— 67/2013 ई.रे.

1—तुलसीराम पिता जगन्नाथ जाट निवासी उठेल तहसील बडीसादडी
2—कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ जाट निवासी उठेल तहसील बडीसादडी

——वादीगण

बनाम

जीतु पिता नवला जाट निवासी उठेल तहसील बडीसादड़ी मृतक के बजायः—
1/1 हीरालाल पिता जीतु जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी
1/2 भागचन्द पिता जीतु जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी
1/3 रतनलाल पिता जीतु जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी
1/4 रामेश्वर पिता जीतु जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी
1/5 भैरूलाल पिता जीतु जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी
1/6 मु. गोपीबाई पत्नी जीतु जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी
1/7 मु. वरदीबाई पत्नी जीतु जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी
1/8 मु. देउबाई पिता जीतु पत्नी अर्जुनलाल जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी
1/9 मु. चान्दीबाई पिता जीतु पत्नी गोपीलाल जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी
2 — रतन मुतबन्ना देवा जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी
3— वजीबाई बेवा किशना जाट निवासी उठेल तहसील बड़ीसादड़ी
4— कालुराम पिता जमनालाल जाट निवासी उठेलहाल मु. मकनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा
5— मु. नानीबाई पिता जमनालाल पति रामेश्वर जाट उठेल हाल मु. नंगा जी का खेड़ा तहसील भदेसर

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 183 188 रा0टी0एक्ट

// निर्णय // **दिनांक :— 23/12/2025**

वादीगण की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि —

1. वादीगण के कब्जे कास्त व खातेदारी की आराजीयात खाता संख्या नई 50 पुरानी 62 की आराजी नम्बर 124/1 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा आराजी नम्बर 126/1 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा आराजी नम्बर 127/1 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा आराजी नम्बर 129/1 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 5 बिघा 17 बिस्वा लगानी 17 रूपया 25 पैसा स्थित है।

2. वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 124/1 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा व आराजी नम्बर 126/1 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा आराजीयात दिंनाक 24.12.96 को श्री अमरचन्द पिता खुमा जी जाति जाट निवासी उठेल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर मौके पर कब्जा उसी समय प्राप्त कर लिया था तथा उक्त आराजीयात की सिचांई चाह नम्बर 128 से सिंचित होती है व आराजी नम्बर 127/1 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 129/1 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा को दिनांक 24.12[illegible] को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के श्रीमति हगामी बाई पिता खुमा जाति जाट के खरीद कर मौके पर कब्जा [illegible] समय ही प्राप्त कर लिया था तथा इन आराजीयात की पिलाई भी चाह नम्बर 128 से होती थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

3. आराजी चाह नम्बर 128 में श्री अमरचन्द पूर्व खातेदार का 1/4 हक हिस्सा तथा श्रीमति हगामीबाई का 1/4 हक हिस्सा यानी दोनों का सयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा था तथा पूर्व खातेदारान द्वारा अपने हक हिस्से की आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड पत्र के विक्रय कर कब्जा सुपुर्द करने के पश्चात वादीगण का चाह नम्बर 128 मे सयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा होकर वह चाह नम्बर 128 से वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात की पिलाई करते चले आ रहे है।

4. वादीगण अपने कब्जे कास्त एंव खातेदारी की आराजी की पिलाई पिछले 10 वर्षों से चाह नम्बर 128 से नियमित रूप से करते चले आ रहे हैं। लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण को चाह नम्बर 128 से पानी निकालने के लिए हर समय लडाई झगड़ा करते रहते है तथा कहते है कि चाह नम्बर 128 वादीगण के नाम पर नही होने से पिलाई नही करने देगें व वादीगण ने प्रतिवादीगण का कई चाह नम्बर 128 में अपना 1/2 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण का नाम चाह नम्बर में अंकित नही करवाते है इसलिए चाह नम्बर 128 में वादीगण का 1/2 हक हिस्सा घोषित किया जाने हेतु वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. वादीगण एंव प्रतिवादीगण के बीच आये दिन सीमा को लेकर विवाद होता रहता है जिसमे वादीगण ने अपने कब्जे काश्त एंव खातेदारी की जमीन की सीमांकन कराये जाने हेतु पत्थरगढड़ी का एक आवेदन पूर्व में न्यायालय हाजा में पेश किया था तथा श्रीमान् के आदेशानुसार हल्का पटवादी एवं भू अभिलेख निरिक्षक महोदय जी द्वारा दिंनाक 8.7.02 को वादीगण की आराजीयात की पत्थरगढी की गई जिसमें आराजी नम्बर 125 की पश्चिमी मेड पर करीब 2 गढढा एवं आराजी नम्बर 124 की पश्चिमी मेड़ पर करीब एक गढ्ढाभुमी पर अनाधिकृत कब्जा व आराजी नम्बर 124/1 व आराजी नम्बर 127/1 पर प्रतिवादी संख्या 1 जितु पिता नवला एंव प्रतिवादी संख्या 2 रतन मुत0 देवलजाट का पाया गया तो वादीगण ने प्रतिवपादीगण को अनधिकृत कब्जा हटाने के लिए कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण टालम टुली करते है व अनाधिकृत कब्जा नही हटाते है व वादीगण के साथ गाली गलौच करते व मरने मारने पर अमादा होते है जिसमे प्रतिवादीगण से अवैध कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जाना न्यायोचित है।

6. वादीगण अपने कब्जे कास्त एंव खातेदारी की आराजीयात पर शान्तिपूर्वक काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आराजी चाह नम्बर 128 से अपने 1/2 हक हिस्से अनुसार अपने हक हिस्से की आराजीयात की पिलाई करते चले आ रहे है लेकिन प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के साथ गाली गलौच करते रहते है व आताचाह से नम्बर 128 से पिलाई करने के लिए रोकते रहते है व वादीगण के पानी के धोरे को भी तोड कर उन्हें क्षति पहुचाते रहते है व तथा प्रतिवादीगण वादीगण को मरने मारने पर उतारू रहते है जिसमें प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह आराजी चाह नम्बर 128 से वादीगण को अपने कब्जे कास्त एंव हक हिस्से की आराजीयात की पिलाई चाह नम्बर 128 मे अपने 1/2 हक हिस्से अनुसार पिलाई करने देवे उसमें किसी तरह का अवरोध उत्पन्न न करें करावें व वादीगण के पानी के धोरे को तोड–फोड़ न करे उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचावे व वादीगण को अपने हक हिस्से में शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें उनमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न न करें करावें।

7. वादीगण अपने हक हिस्से पर शान्तिपूर्वक काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा अपने हक हिस्से की आराजीयात की पिलाई चाह नम्बर 128 से अपने 1/2 हक हिस्से अनुसार करते चले आ रहे है तथा इस समय भी वादीगण ने अपने हक हिस्से पर पमल बो रखी है तथा चाह नम्बर 128 से पिलाई करते चले आ रहे है लेकिन आज से करीब 10 दिन पहले प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ पिलाई करने से रोकने के लिए विवाद किया व गाली गलोच करते हुए धमकी दी कि पिलाई नही करने देगे। मौके पर वादीगण की पमल खड़ी हुई है तथा पिलाई करना अति आवश्यक होने के वाद कारण पिछले 10 दिन से निरन्तर रूप में पैदा होता चला आ रहा है ।

अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:47 IST
Reason: SelfAttested

अ – चाह नम्बर 128 में वादीगण का 1/2 हक हिस्सा स्थापित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह चाह नम्बर 128 से वादीगण को अपने हक हिस्से 1/2 अनुसार वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात की पिलाई करने देवें उसमें किसी तरह की बाधा या अवरोध उत्पन्न न करें करावें व पानी के धोरे को तोड फोड़ न करें करावें तथा वादीगण के कब्जे कास्त एंव खातेदारी आराजीयात में किसी तरह की दखलअन्दाजी स्वंय न करे न किसी अन्य से करावें।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

ब – प्रतिवादीगण से आराजी नम्बर 125 की पश्चिमी मेड़ पर 2 गढढा एवं आराजी नम्बर 124 की पश्चिमी मेड पर एक गढढा भुमी पर अनाधिकृत कब्जा आराजी नम्बर 124/1 व आराजी नम्बर 127/1 पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने कर रखा है उक्त अवैध कब्जे को प्रतिवादीगण से हटाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने की डिकी वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित की जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 की ओर श्री से विक्रमसिंह राठौड़ एवं श्री डी.के. वैष्णव अधिवक्ता द्वारा पावर व जबाव काउन्टर क्लेम पेश किया गया । शेष प्रतिपादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तनकीयात कायम की गई। साक्ष्यवादी में कन्हैयालाल के शपथ पत्र पेश हुये तथा जिरह की गई। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 28.08.2025 के अनुसार वकील प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी ।

जवाब दावा मय काउन्टरक्लेम प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 क्रमशः जीतु रतनलाल एवं वरजुबाई की ओर से निम्न प्रकार पेश है–

1. वाद पत्र की चरण सं. एक में वर्णित आराजीयात वादीगण की होना स्वीकार है।
2. वाद पत्र की चरण सं. 2 जवाब इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात अमरचन्द एवं हगामी पुत्री खुमा से खरीदने का तथ्य जानकारी के अभाव में असत्य है। तथा वादग्रस्त आराजी की पिलाई चाह नं. 128 से होने का तथ्य भी गलत होने से अस्वीकार है।
3. वाद पत्र की चरण सं. 3 गलत होने से अस्वीकार है। चाह नं. 128 में अमरचन्द एवं हगामी का कोई हक हिस्सा नही था बल्कि उक्त चाह पूर्व में देव ज्या किसान पिता उंकार के खातेदारी मे दर्ज थी तथा वर्तमान में रतनलाल कालूराम नानीबाई जमनालाल वरजुबाई एवं जीतु की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। देव ज्या किसान पिता उंकार द्वारा ही उक्त चाह का निर्माण करवाया गया था तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त चाह को खुदवा कर और गहरा करवाया गया वादीगण का उक्त चाह मे कोई हक हिस्सा नही है इसलिए उक्त आराजी वादीगण अपने खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी नही है।
4. वाद की चरण सं. 4 स्वीकार नही है। आराजी नं. 128 में अमरचन्द हगामी पिता उंकार का कोई हक हिस्सा नही था बल्कि उक्त आराजी देव ज्या किशना पिता उंकार एवं नवला पिता मौडा के खातेदारी में दर्ज थी तथा इन्होंने ही मिलकर उक्त चाह को खुदवाकर निर्माण करवाया था। देव ज्या एवं किशना पिता उंकार नवला पिता मोड़ा की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिस प्रतिवादीगण है। इसलिए वादीगण वादग्रस्त आराजी को अपने नाम पर घोषित कराने के अधिकारी नही है तथा विगत 12 वर्षों अकाल के कारण उक्त चाह सुखा पड़ा है तथा वादीगण का तथ्य 10 वर्षों से पिलाई करने गलत होने से अस्वीकार है।
5. वाद पत्र की चरण सं. 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजीयात पर कभी कब्जा नहीं किया बल्कि प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से पर करीब 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा जिसे 12 वर्षो से अधिक समय होने के कारण वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कब्जेयाबी की दाद पाने के अधिकारी नहीं है।
6. वाद पत्र की चरण सं. 6 गलत होने से अस्वीकार है। आ.चा.नं. 128 में वादीगण का हक हिस्सा नहीं है। बल्कि उक्त चाह प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज होकर प्रतिवादीगण उक्त चाह पर अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। बल्कि वादीगण आनी आराजीयात की पिलाई अपनी दिगर आरजीयात पर लगी ट्युबवेल व कुऐं से [illegible] द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की पिलाई करीब 10–12 वर्षो से करता चला आ रहा है। बल्कि [illegible] लिए [illegible]ग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा इसलिए वादीगण का प्रतिवादीगण के विरूद्ध [illegible] निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी नहीं है।
7. यह कि वाद पत्र की चरण सं. 7 गलत होने से अस्वीकार है। [illegible]गण को कोई वादकारण पैदा नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

विशेष कथन

1. उक्त वाद में कालुराम नानीबाई पुत्री जमानालाल का पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इसलिए उक्त वाद आवश्यक पक्षकर के अभाव चलने योग्य नहीं है।
2. प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से पर करीब 50 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजीयात के बीच थोहरों की बाड़ लगी हुई है जिसे करीब 12 वर्षों से अधिक समय हो चुका है। इसलिए वादीगण का कब्जे याबी का वाद अवधि अधिनियम से बाधित होने से चलने योग्य नहीं है।

काउण्टर क्लेम

1. आ.चा. नं. 128 रकबा 0.11 बिस्वा लगानी 0.11 पैसे वाके मौजा उठेल तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित होकर वादीगण की खातेदारी मे दर्ज होकर अपने अपने हक हिस्से अनुसार अपनी आराजीयात की पिलाई करते चले आ रहे है।
2. वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं होते हुए भी वादीगण के कब्जे काश्त में दखलआन्दाजी करते है तथा लड़ाई झगड़ा करते है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी है। कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें न करावें । न लड़ाई झगड़ा करें न करावें। तथा वादीगण को शांतिपूर्वक अपनी आराजी की पिलाई करने देंवें।

अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद खारीज फरमाया जावें।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम दिंनाक 02.04.2007 पेश दिया जिसका वादीगण द्वारा जबाव निम्न प्रकार पेश है।

1. काउन्टर क्लेम की कलम नम्बर 1 का जबाब इस प्रकार है कि आराजी चाह नम्बर 128 रकबा 0.11 बिस्वा लगानी 11 पैसा वाके मौजा उठेल तहसील बडीसादडी में स्थित होकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज होकर अपने हक हिस्से अनुसार अपनी आराजीयात की पिलाई करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण से पिलाई बाबत लडाई झगडा करते रहते है। जिससे वादीगण को उक्त वाद पेश करना पड़ा है।
2. काउन्टर क्लेम की कलम संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण वादीगण से वादीगण के कब्जे कास्त की आराजीयात की पिलाई नही करने देते है वह लडाई झगड़ा करते रहते है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय संगत है। जिसे वादीगण अपनी आराजीयात की पिलाई शान्ति पूर्वक कर सके।

अतः जबाब काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम सह व्यय निरस्त फरमाया जावें व वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1– आया मौजा उठेल तहसील बडीसादडी की आराजी चाह नम्बर 128 रकबा 0.11 हैक्टेयर में वादीगण का 1/2 हक हिस्सा होकर वह अपने हक हिस्से को अपने खातेदारी में घोषित कराने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त चाह से उनकी आराजी की सिंचाई करने में दखलअन्दाजी करते है जिस कारण वादी उन्हें निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

– वादीगण

2–.आया वादीगण की खातेदारी एंव कब्जे कास्त की आराजी नम्बर [illegible] की पश्चिमी मेड़ पर 2 गढ्ढा व आराजी नम्बर 124 की पश्चिमी मेड पर एक गढ्ढा व आराजी नम्बर 124/1 [illegible] आराजी नम्बर 127/1 पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा जिसका [illegible] का अधिकारी है।

–वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

3–आया विशेष कथन की कलम नम्बर 1 में वर्णित अनुसार आवश्यक पक्षकार होने से उक्त वाद उसके अभाव में चलने योग्य नही है।

–प्रतिवादीगण

4– आया प्रतिवादीगण आराजी चाह कुएं मे अपने पक्ष में वादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा के अधिकारी है एवं वादीगण का कब्जेयाबी का दावा मियाद बाहर है।

– प्रतिवादीगण

5 अनुतोष

प्रकरण में तनकीवार विवेचना निम्न प्रकार की जाती है:–

तनकी संख्या एक

आया मौजा उठेल तहसील बडीसादडी की आराजी चाह नम्बर 128 रकबा 0.11 हैक्टेयर में वादीगण का 1/2 हक हिस्सा होकर वह अपने हक हिस्से को अपने खातेदारी में घोषित कराने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त चाह से उनकी आराजी की सिंचाई करने में दखलअन्दाजी करते है जिस कारण वादी उन्हें निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

– उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था तथा वाद पत्र के कथनानुसार ओर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से तथा प्रदर्श दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 4 ए तथा प्रदर्श 5ए मे आराजी न. 128 जो कि आराजीयात चाह है का भी क्रय किया गया तथा पंजीयन तहसीलदार द्वारा किया गया था तथा उक्त आराजी न. 128 रकबा 0.11 हैक्टयर का 1/2 भाग वादीगण के नाम दर्ज नही हुआ जबकी उक्त आरजी वादीद्वारा क्रय कि गई थी तथा क्रय कि गई मुख्य आराजी कि सिंचाई भी उक्त आराजी के माध्यम से हो रही थी जैसा कि प्रदर्श 1 व 2 दस्तावेज जमाबन्दी से साफ जाहीर होता है तथा उक्त आराजी वादी अपने नाम 1/2 घोषित कराने के अधिकारी है तथा उक्त तनकी वादी क पक्ष मे तय की जाती है

तनकी संख्या 2

आया वादीगण की खातेदारी एंव कब्जे कास्त की आराजी नम्बर 125 की पश्चिमी मेड़ पर 2 गढ्ढा व आराजी नम्बर 124 की पश्चिमी मेड पर एक गढ्ढा व आराजी नम्बर 124/1 व आराजी नम्बर 127/1 पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा जिसका कब्जेयाबी की डिकी वादी पाने का अधिकारी है।

– यह कि उक्त तनकी न. 2 को भी वादीपक्ष को साबित करना था तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य जमाबन्दी व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादी उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है तथा पत्थरगढी कि रिपोर्ट प्रदर्श 3 से साफ जाहीर होता है कि वादी की उक्त आराजी पर प्रतिवादी न. 1 व 2 ने आराजी नम्बर 125 की पश्चिमी मेड़ पर दो गडडा व आराजी नम्बर 124 की पश्चिमी मेड पर एक गडडा व आराजी नम्बर 124/1 व आराजी नम्बर 127/1 पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा तथा वादी उक्त कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उक्त तथ्य वादी की साक्ष्य व दस्तावेज से भी साबित होती है तथा उक्त तनकी वादी के पक्ष मे निर्धारित की जाती है तथा उक्त कब्जा वादी को दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:47 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 3

आया विशेष कथन की कलम नम्बर 1 में वर्णित अनुसार आवश्यक पक्षकार होने से उक्त वाद उसके अभाव में चलने योग्य नही है।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

यह कि उक्त तनकी प्रतिवादी को साबित करनी थी लेकिन उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही है तथा प्रतिवादी उक्त तनकी साबित नही कर पाये है तथा उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है। तथा वादी ने सही दावा प्रस्तुंत किया है।

तनकी संख्या 4

आया प्रतिवादीगण आराजी चाह कुएं मे अपने पक्ष में वादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा के अधिकारी है। एवं वादीगण का कब्जेयाबी का दावा मियाद वाहर है।
यह कि उक्त तनकी प्रतिवादी को साबित करनी थी लेकिन उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही है तथा प्रतिवादी उक्त तनकी साबित नही कर पाये है तथा उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है। तथा वादी ने सही दावा अन्दर मियाद प्रस्तुंत किया है। पत्थरगढी के वाद किया है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा उंठेल पटवार हल्का पीण्ड के चाह नम्बर 128 में वादीगण का 1/2 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे चाह नम्बर 128 से वादीगण को अपने हक हिस्से 1/2 अनुसार खाता संख्या नई 50 पुरानी 62 की आराजी नम्बर 124/1 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा आराजी नम्बर 126/1 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा आराजी नम्बर 127/1 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा आराजी नम्बर 129/1 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 5 बिघा 17 बिस्वा की पिलाई करने देंवें उसमें किसी तरह की बाधा या अवरोध उत्पन्न न करें न करावें व पानी के धोरे को तोड़ फोड़ न करें न करावें तथा वादीगण के कब्जे काश्त एंव खातेदारी आराजीयात में किसी तरह की दखलअन्दाजी स्वंय न करे न किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण से आराजी नम्बर 125 की पश्चिमी मेड़ पर दो गडडा एवं आराजी नम्बर 124 की पश्चिमी मेड पर एक गड्डा भूमी पर अनाधिकृत कब्जा आराजी नम्बर 124/1 व आराजी नम्बर 127/1 पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने कर रखा है उक्त अवैध कब्जे को प्रतिवादीगण से हटाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

इसी अनुसार अंतिम डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी • बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:47 IST
Reason: SelfAttested